कार्यालय वनमंडलाधिकारी,पश्चिम छिंदवाड़ा वनमंडल

E-mail ID :: dfotwchwara@mp.gov.in Fax (07162)246996

कमांक/मा.चि./2021/ 4456 छिन्दवाड़ा दिनांक 24/11/21

प्रति,

रिलायंस जियो इंफोकाम लिमिटेड,
तृतीय तल डी.बी. मॉल जोन 1
एम.पी. नगर भोपाल

विषय :— छिंदवाड़ा जिले में Jio Digital Fiber Private Ltd. द्वारा Bhimkhedi-Bamhani route में ओ.एफ.सी. लाईन डालने हेतु 0.4 हे0 वनभूमि के प्रस्ताव में स्वीकृति जारी करने बाबत् । (प्रकरण कमांक/FP/MP/OFC/145519/2021)

संदर्भ :— 1.प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (कक्ष—भू प्रबंध) सतपुड़ा भवन, म.प्र. भोपाल के पत्र कमांक एफ—5/वि./21/10—11/3208 दिनांक 21.09.21 एवं 3887 दिनांक 23.11.2021
2.मुख्य वन संरक्षक छिन्दवाड़ा वन वृत्त छिन्दवाड़ा के पत्र कमांक 6058 दिनांक 28. 10.20214
3.वनपरिक्षेत्राधिकारी देलाखारी के पत्र कमांक 830 दिनांक 11.10.2021
4.वनपरिक्षेत्राधिकारी झिरपा के पत्र कमांक 1159 दिनांक 29.09.2021
5.रिलायंस जियो इंफोकाम लिमिटेड,तृतीय तल डी.बी. मॉल जोन 1 एम.पी. नगर भोपाल के पत्र दिनांक10.11.2021

——00——

विषयांकित संदर्भित पत्र के तारतम्य में लेख है कि, पश्चिम छिन्दवाड़ा वनमंडल छिन्दवाड़ा के वनपरिक्षेत्र देलाखारी के वन कक्ष कमांक पी 111 , पी 108 एवं वनपरिक्षेत्राधिकारी झिरपा के वन कक्ष कमांक पी 58 रकबा 0.28 हे0 (लंबाई 5.6 कि.मी. एवं चौड़ाई 0.50 मी0 गहराई 1.50 मी0) राईट ऑफ वे के अंदर आप्टीकल फाईबर केबल लाईन बिछाने हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। वनपरिक्षेत्राधिकारी देलाखारी/झिरपा एवं फील्ड इंजीनियर रिलायंस जियो इंफोकाम लिमिटेड छिन्दवाड़ा द्वारा मौके का संयुक्त स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। म0प्र0 शासन वन विभाग के पत्र कमांक एफ/5/18/2002/10—3 दिनांक 18.11.04 एवं म0प्र0 शासन वन विभाग के पत्र कमांक एफ—5/18/2002/10—3 दिनांक 01.07.2009 एवं पत्र कमांक/एसपीए/18 दिनांक 30.01.2015 के अनुसार भूमिगत ऑप्टिकल फाईबर केबल लाईन बिछाने हेतु निम्न शर्तो में औपचारिक स्वीकृति जारी की जाती है।

1. वनभूमि का वैद्यानिक स्वरुप परिवर्तित नहीं होगा।
2. राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्यों के क्षेत्र में यह स्वीकृति लागू नहीं होगी।
3. वनभूमि व्यपवर्तन की स्वीकृति केवल वर्तमान में उपलब्ध मार्ग के किनारे राईट ऑफ वे के तहत ही दी जायेगी। राईट ऑफ वे से तात्पर्य मार्ग के किनारे—किनारे मार्ग सीमा के अंदर आने वाले क्षेत्र से है।

24.11.21

Dfo_West//Shoaib//cover 2021

Scanned by CamScanner

Dfo_West//Shoaib//cover 2021

प्रस्तावित रकबा 0.28 हे. से क्षेत्र से अधिक वनभूमि में कार्य न किया जावें।

5. आप्टिकल फाईबर केबल लाईन डालते समय कोई वृक्ष काटे नहीं जायेगें।
6. वनभूमि पर भूमिगत आप्टिकल फाईबर केबल/भूमिगत टेलीफोन लाईन के लिये खोदी जाने वाली खंती का आकार लंबाई 5600 मी. X चौड़ाई 0.50 मी. X गहराई 1.50 मी. से अधिक नहीं होगा।
7. वनभूमि का उपयोग प्रस्तावित कार्य को छोड़कर अन्य किसी कार्य के लिये नहीं किया जायेगा।
8. समतलीकरण का कार्य आवेदक/आवेदक संस्थान के द्वारा स्वंय के व्यय पर खोदी गई खंती से निकाली गई मिट्टी से ही किया जायेगा।
9. समतलीकरण के कार्य हेतु यदि मिट्टी /पत्थर की आवश्यकता हो तो वन क्षेत्र में उत्खनन नहीं किया जायेगा। सूर्यास्त के बाद किसी भी प्रकार का वनक्षेत्र में कार्य नहीं किया जावेगा।
10. खंती खोदते समय वृक्षों को हानि नहीं पहुचाई जायेगी तथा खंती में आने वाले वृक्षों की जड़ों को नहीं काटा जायेगा। अन्यथा अनुमति निरस्त मानी जावेगी।
11. शासन द्वारा भविष्य में आवेदक/आवेदक संस्थान से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 30.10.02 के पालन में 9.20 लाख प्रति हे. की दर से नेट प्रेजेन्ट वेल्यु की राशि वसूल की जायेगी। शर्त के पालन में आवेदक संस्थान द्वारा वचन पत्र दिया जावें।
12. यदि आवेदक/आवेदक संस्थान या उसके ठेकेदार के द्वारा वन या वनभूमि को किसी प्रकार की हानि पहुँचाई जाती है तो वनमंडलाधिकारी द्वारा निर्धारित राशि आवेदक/आवेदक संस्थान से देय होगी।
13. वन विभाग या शासन द्वारा भविष्य में कोई शर्त अधिरोपित की जाती है तो आवेदक/आवेदक संस्थान उस शर्त को मानने हेतु बंधनकारी रहेंगें।

उपरोक्त शर्तो के अनुरुप यदि कोई शर्त का उल्लंघन किया जाता है तो स्वीकृति निरस्त मानी जावेगी। कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व वनपरिक्षेत्राधिकारी को सूचना दिया जावें।

24.11.21

वनमंडलाधिकारी
पश्चिम छिंदवाड़ा वनमंडल छिन्दवाड़ा

पृष्ठा.क्रमांक/मा.चि/2021/4457
छिंदवाड़ा, दिनांक/24/11/21

प्रतिलिपि :—1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू–प्र.) सतपुड़ा भवन भोपाल की ओर उनके पत्र कमांक एफ–5/वि./2021/10–11/3887 दिनांक 23.11.2021 के तारतम्य में सूचनार्थ संप्रेषित।

2. मुख्य वन संरक्षक छिन्दवाड़ा वन वृत्त छिन्दवाड़ा की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।
3. उपवनमंडलाधिकारी तामिया सा0 उपवनमंडल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
4. वनपरिक्षेत्राधिकारी देलाखारी/झिरपा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

वनमंडलाधिकारी
पश्चिम छिंदवाड़ा वनमंडल छिन्दवाड़ा

Scanned by CamScanner